1117-34188
15/11/17

MRS
5 अति० अनु०

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमाक:प०21(4)चिस्वा/2/2017 जयपुर,दिनांक 14-11-2017

निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर।

विषय:–राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस संबंध में पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में निर्देशानुसार लेख है कि समस्त जिला अस्पताल/उपखण्ड स्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामीण/शहरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिटी डिस्पेन्सरी/राजकीय चिकित्सालय में गठित मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारिणी के गठन की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

"अ" श्रेणी :

जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय

1	जिला कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष	
2	संयुक्त निदेशक, जोन	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रमुख चिकित्साधिकारी	पदेन सदस्य सचिव	
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	
5	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेगें।
6	विधायक	सदस्य	
7	उप नियंत्रक, चिकित्सालय	सदस्य	
8	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
9	चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत/सामाजिक कार्यकर्ता /दानदाता। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम तीन सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।
10	नर्सिंग अधीक्षक (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	

नोट:–सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

"ब" श्रेणी :

जिला मुख्यालय पर स्थित सेटेलाईट अस्पताल एवं जिला मुख्यालय से अन्यत्र स्थित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत चिकित्सा संस्थान।

1	संयुक्त निदेशक, जोन	पदेन अध्यक्ष	
2	उप निदेशक, जोन	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रमुख चिकित्साधिकारी	पदेन सदस्य सचिव	
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	
5	विधायक	सदस्य	

6	वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेगें।
7	उप नियंत्रक	सदस्य	
8	वरिष्ठ लेखाकर्मी	सदस्य	
9	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	
10	चिकित्सा क्षैत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम दो सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोटः—सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

(स)समस्त उपखण्ड स्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

1	CM&HO/RCHO/Dy.CM&HO(H/FW) / DTO	पदेन अध्यक्ष	
2	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रभारी अस्पताल/सामुदायिकस्वास्थ्य केन्द्र	पदेन सदस्य सचिव	
4	विधायक	सदस्य	
5	कनिष्ठ विशेषज्ञ–अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेगें।
6	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
7	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	
8	चिकित्सा क्षैत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम दो सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोटः—

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग द्वारा दिनांक 23.04.15 को जारी अधिसूचना के तहत पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना हेतु जिन CM&HO/RCHO/Dy. CM&HO(H/FW)/ DTO को उपखण्ड का समुचित उपखण्ड अधिकारी बनाया गया है उसी प्रकार इन उपखण्डों में आने वाली समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संबंधित अधिकारी पदेन अध्यक्ष होगें, यदि कहीं अपवाद है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर से अध्यक्ष मनोनित कर सकेगें।
2. सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

(द) ग्रामीण/शहरी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिटी डिस्पेन्सरी/राजकीय चिकित्सालय

1	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष	
2	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सदस्य सचिव	
3	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
4	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ	सदस्य	
5	संरपच/वार्ड मेम्बर	सदस्य	
6	चिकित्सा क्षैत्र में कार्यरत सामााजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम एक सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोटः—सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है।(गैर सरकारी सदस्य/सामााजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय मंत्री ,महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक ,माननीय राज्य मंत्री ,महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी,सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग।
5. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
6. निदेशक (एम.एस.यू.) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई,राज0 जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,राज0जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी